

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

लय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

जोरा बनाम पोखर वगैरे
 दमा दावा मुकदमा नं. 55 सन् 2017

म	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
3	<p>पकील पापी श्री शमावतार बिजार- गिमाँ ने हाजिर अफात होकर वादपत्र पेश किया। दावा पर्ज रजिस्टर किया जाये। प्रतिवादीगण की तलबी जरिह लम्पन की जाकर पत्रावली दिनांक 21-04-2017 को पेश हो।</p>	
4	<p>21 4/17 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिकेन सप./अनुपस्थित। पीजामीन अधिकारी दौरे /अन्य कार्य में जास्त पत्रावली अखिन कार्यवाही हेतु दिनांक 19-5-17 को पेश हो।</p>	
5	<p>19 5/17 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिकेन सप./अनुपस्थित। पीजामीन अधिकारी दौरे /अन्य कार्य में जास्त पत्रावली अखिन कार्यवाही हेतु दिनांक 1-12-17 को पेश हो।</p>	
12	<p>12 17 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिकेन सप./अनुपस्थित। पीजामीन अधिकारी दौरे /अन्य कार्य में जास्त पत्रावली अखिन कार्यवाही हेतु दिनांक 20-2-18 को पेश हो।</p>	
20	<p>20 2/18 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिकेन सप./अनुपस्थित। पीजामीन अधिकारी दौरे /अन्य कार्य में जास्त पत्रावली अखिन कार्यवाही हेतु दिनांक 20-3-18 को पेश हो।</p>	

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

20 $\frac{3}{18}$

पत्रावली पेश हुई। चक्रलाय फरिफेन
उप./अनुपस्थित। पीठारीन अधिकारी कीरे
/अन्य कार्र में प्रारत पत्रावली अग्रिम
कार्यवाही हेतु दिनांक 16.5.18
को पेश हो।

15 $\frac{05}{18}$

पत्रावली आज राजस्व लीन अदालत अग्रिम
: न्याय आपके द्वारा -2018 के तहत अदालत
द्वारा केन्द्र गुणा में नियत तारीख से पूर्व
तलब की गयी। वकील वादी ने दावा
विश्व किये जाते हेतु प्रत्येक पत्र पेश किया
प्र. पत्र में अंकित किया कि प्रमाणों
प्रमाण को उभरे उभरे नहीं चलना चाहिए
हैं तथा न्यायालय से कोई कार्यवाही नहीं
चाहते हैं। अतः प्र. पत्र स्वीकार कर
दावा विश्व की अनुप्राप्ति प्राप्त करें।

वकील वादी का प्रत्येक पत्र
स्वीकार करते हुए दावा विश्व की अनुप्राप्ति
दी जाती है। प्रमाण में उभरे कोई कार्य
वाही अपेक्षित नहीं है। अतः कार्यवाही
प्रमाण इसी स्तर पर प्रप किया जावे
पत्रावली केसल शुमार होकर नम्बर से कम है
तथा बाद तलब दायित्व दफतर से निर्णय
मजमें आम सुनाया गया।